Title: Requested the Government to make the lawyers of District Courts eligible for being recruited as the Judges of the High Courts and to fix a quota for them.

डॉ.रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो वकालत करते हैं, उनमें से अधिवक्ता लिए जाते हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला न्यायालयों में भी वकालत करते हैं। वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत न करने के कारण हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जो जिला न्यायालयों में अधिवक्ता वकालत करते हैं, उनको भी हाई कोर्ट का जज बनाया जाए और उनका कोटा फिक्स किया जाए।